

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 2,3 व 5,6 के अधिवक्ता उपस्थित। मूलवाद के आदेशानुसार शेष विप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। तत्पश्चात उभय-पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से विवादित भूमि में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने बाबत अनुतोष चाहा गया है, जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थीगण की कब्जाशुदा भूमि में विप्रार्थी आए दिन दंखलदान्जी करने की कोशिश करते रहते हैं तथा विवादित भूमि को बेचान करने पर उतारू है, यदि इसमें सफल हो गए तो प्रार्थीगण के वाद का मकसद ही समाप्त हो जाएगा। अतं प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मूलवाद के निर्णय तक विवादित भूमि की रेकॉर्ड एवं मौका स्थिति बनाए रखने हेतु स्थगन आदेश से विप्रार्थीगण को पांबद किया जावे। विप्रार्थी संख्या 2,3 व 5,6 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित भूमि पर स्थगन आदेश जारी किया जाता है, तो आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया है, जो कि मूलवाद में साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर तय होगा कि वादीगण/प्रार्थीगण राहत प्राप्त करने के हकदार हैं अथवा नहीं। लेकिन हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश को जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि विवादित भूमि का प्रार्थीगण रिकॉर्ड खातेदार नहीं होकर विप्रार्थीगण खातेदार है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम दृष्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनते हैं।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।